अध्याय-VI

निष्कर्ष

दोपहर के भोजन की योजना अब लगभग दो दशको से अस्तित्व में रही है। जबकि सरकार ने वर्षों में योजना के विषयों में कुछ सुधार किए हैं फिर भी जहां तक योजना की सूपूदर्गी का संबंध है अभी भी अधिक सकारात्मक सुधार सामने नहीं आए हैं। योजना की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा, 2007-08 के दौरान की गई थी। उस निष्पादन लेखापरीक्षा ने कई अनियमितताओं, जैसे कि नामांकन आकड़ों का अधिक बताया जाना, चोरी के मामले, वित्तीय अनुशासनहीनता, भोजन की खराब गुणवत्ता तथा अपर्याप्त मानीटरिंग को प्रस्तुत किया था। वर्तमान लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि, हाँलाकि योजना प्रभावशाली दिशानिर्देशों के साथ, दस्तावेज पर अच्छी प्रतीत होती है परंतु वास्तविक कार्यान्वयन अभी भी बोर्ड में विभिन्न कमियों तथा चूकों से पीड़ित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.डी.एम के नामाकंन डाटा में, पांच वर्षों की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरों में, निजी विद्यालयों को शामिल किया, जिसने प्रतिकूल प्रवृत्ति दर्ज की। जबकि निजी विद्यालयों में नामांकन 38 प्रतिशत तक बढ़ा फिर भी एम.डी.एम. में शामिल सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में यह 5.58 प्रतिशत तक कम हुई थी। इस आकड़े से सुस्पष्ट हस्तक्षेप हैं। पहला, जनसंख्या का एक बढ़ता समूह है जो व्यय पर भी मुफ्त भोजन से शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करता है। दूसरा, यह दर्शाता है कि एक मुफ्त एम.डी.एम. अपने आप में, बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने हेतु पर्याप्त शर्त नहीं है। तीसरा, एक विरकात धारणा है कि निजी विद्यालय एक अच्छा शिक्षण वातावरण प्रदान करते है।

एक समस्या का क्षेत्र, जो योजना को बर्बाद कर रहा है, वो चोरियां तथा वित्तीय अनुशासनहीनता का है। लेखापरीक्षा ने एम.डी.एम. प्राप्त कर रहें बच्चों की संस्थानों द्वारा नमूना विद्यालयों के दौरे के दिन के दौरान वास्तव में एम.डी.एम प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या का बेमेल होना पाया। ये निष्कर्ष लेखापरीक्षा प्रमाण से समर्थित हैं। तथ्य कि संख्या की इस प्रकार की नकली वृद्धि लगभग सभी नमूना जांच किए गए राज्यों में पाई गई थी, योजना कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न अभिकरणों के योजना से स्वंय को अनुचित लाभ हेतु, प्रयासों के प्रति स्पष्ट संकेतक है।

निर्धारित अनुबंध कि कम से कम स्पष्ट औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के अनाज एफ.सी.आई. द्वारा जारी किए गए थे, को नियमित निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना था। तथापि, अधिकतर राज्यों में, इस संबंध में निरीक्षण नहीं किए गए थे, जो बच्चों को चावल की घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति का कारण बने। घटिया गुणवत्ता के चावल को अच्छी गुणवत्ता के चावल से बदले जाने के उदाहरण भी सामने आए। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बच्चों को प्रदान किए गए भोजन की गुणवत्ता तथा भोजन के पौषणिक महत्व की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने हेतु जांच केवल कागजों पर रहीं। अस्वस्थ्यकर परिस्थितियों में, खराब गुणवत्ता के भोजन पकाने, रसोईघर शैड तथा बर्तनों के संबंध में अवसंरचना की अपर्याप्त तथा खराब गुणवत्ता के मामले सभी राज्यों में अनियंमित थे, जो बच्चों को स्वास्थ्य संकट का जोखिम डालते थे। उपयुक्त रसोईघर शैडो का अभाव, विद्यालयों की कक्षाओं तथा कारिडॉर में भोजन पकाए जाने का कारण बना, जो बच्चों को प्रदान की गई शिक्षा की गुणवता से गंभीरता से समझौता कर रहे थे।

बच्चों के स्वास्थ्य जांचों की पर्याप्त संख्या का आयोजन नहीं किया गया था जिसके अभाव में बच्चों की पौषणिक स्थिति तथा अपेक्षित सूक्ष्म पुष्टिकार अनुपूरकों पर एम.डी.एम. योजना के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता था।

वित्तीय अनुशासनहीनता, जैसे कि उपयोग प्रमाणपत्रों का गलत प्रस्तुत किया जाना, निधियों का दुरूपयोग, अनाज की उच्च लागत का दावा करने हेतु डाटा को झूठा तैयार करने, के मामले व्यापक थे।

मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा योजना की अपर्याप्त मानीटरिंग, योजना कार्यान्वयन में एक मुख्य बाधा थी। मानीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु चयनित निधियों का समग्र रूप से कम उपयोग किया गया था। जिला, तहसील/तालुका, ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षणों में कमी थीं। शिकायतों का समाधान करने हेतु, शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना नहीं की गई थी। इस प्रकार सुशासन प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। मंत्रालय को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों का एक प्रणालीगत तथा समयबद्ध प्रकार से निपटान किया गया है।

नई दिल्ली **(मुकेश प्रसाद सिंह)**

दिनांक: 19 नवम्बर 2015 **महानिदेशक लेखापरीक्षा**

केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**

दिनांक: 23 नवम्बर 2015 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**